रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 17, 1994/वैशाख 27, 1916
No. 68] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 17, 1994/VAISAKHA 27, 1916

पांचवां केन्द्रीय वेतन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 1994

फाइल सं. ए.-11019/2/94-प्रशा. 1 (वे. आ.).—भारत सरकार ने अपने संकल्प सं. 5 (12)/ई. 3/93 दिनांक 9 अप्रैल, 1994 द्वारा संदर्भ के निम्न नियमों सहित पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया है :—

(क) सिद्धांतों, जो पारिश्रमिक की संरचना को शासित करेंगे तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा की उन शर्तों को प्रस्तुत करना, जिनका वित्तीय अभिप्राय होगा।

(ख) सरकारी कर्मचारियों के निम्नलिखित संवर्गों की सेवा शर्तों तथा पारिश्रमिक की वर्तमान संरचना की उनकी उपलब्ध लाभों के कुल पैकेट को विचार में लेते हुए जांच करना तथा उनमें परिवर्तनों का सुझाव देना, जो वांछनीय एवं व्यवहार्य हों—

(1) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी—औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक,

(2) अखिल भारतीय सेवा से संबंधित कार्मिक,

(3) सशस्त्र बलों से संबंधित कार्मिक,

(4) केन्द्रशासित क्षेत्रों के कार्मिक, तथा

(5) भारतीय सर्वोच्च न्यायालय तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी।

(ग) पेंशनधारियों हेतु एक समुचित पेंशन संरचना प्रदान करने के उद्देश्य से मृत्यु एवं अवकाश प्राप्ति लाभों सहित मौजूदा पेंशन संरचना की जांच करना तथा उससे संबंधित अनुशंसाएं करना, जो वांछनीय एवं व्यवहार्य हों।

(घ) कार्य के तरीकों तथा कार्य परिवेश साथ ही उस प्रकार के भत्तों तथा लाभों के किस्मों जो वेतन के अतिरिक्त उपरोक्त संवर्गों को वर्तमान में उपलब्ध है, की जांच करना तथा प्रशासन में दक्षता विकसित करने, अनावश्यक कागजी कार्यवाही को कम करने तथा सरकारी मशीनरी के आकार को अनुकूलतम बनाने के उद्देश्य से उनका औचित्यस्थापन तथा सरलीकरण का सुझाव देना।

(ङ) अन्य संबद्ध तथ्यों के साथ राज्य सरकारों इत्यादि के अधीन उपलब्ध प्रचलित वेतन संरचना तथा अवकाशप्राप्ति लाभों, देश के आर्थिक हालात, केन्द्रीय सरकार के संसाधनों तथा उन पर मांगों, जैसे आर्थिक एवं सामाजिक विकास, रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सुदृढ़ आर्थिक प्रबंध की अपेक्षाओं के कारण को विचार में रखते हुए उपरोक्त प्रत्येक पर अनुशंसाएं करना।

2 आयोग सभी संगठनों, श्रम संघों, संस्थानों, अन्य संगठनों तथा इच्छुक व्यक्तियों को उपरोक्त मामलों पर उनके विचार निहित मेमोरेंडम भेजें जिनमें प्रत्येक विषय पर पृथक रूप से विचार व्यक्त हों, प्रत्येक पैराग्राफ की संख्या लिखी हो। आयोग वरीयतः एक कंप्यूटर का फलापी पर इन मेमोरेंडा सामग्री को प्राप्त करना होगा। विकल्प रूप से ऐसे मेमोरेंडा की सात प्रतियां सदस्य सचिव, पांचवां केन्द्रीय वेतन आयोग, विज्ञान भवन अनैक्सी, एम. ए. रोड, नई दिल्ली-110001 को भेजी जाएं, जो 15 जुलाई, 1994 तक या उससे पूर्व उनके पास पहुंच जानी चाहिए।

एम. के. काव, सदस्य सचिव
पांचवां केन्द्रीय वेतन आयोग

FIFTH CENTRAL PAY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 1994

F. No A-11019/2/94-Ad. I(PC).—Government of India vide its Resolution No. 5(12)/E. III/93, dated the 9th April, 1994 have constituted the Fifth Central Pay Commission with the following terms of reference :—

(a) To evolve the principles which should gove n the structure of emoluments and those conditions of service of Central Government employees which have a financial bearing.

(b) To examine the present structure of emoluments and conditions of service of the following categories of Government employees, taking into account the total packet of benefits available to them and suggest changes therein which may be desirable and feasible :—

(i) Central Govt. employes—industrial and non-industrial:

(ii) Personnel belonging to the All India Services;

(iii) Personnel belonging to Armed Forces;

(iv) Personnel of the Union Territories; and

(v) Officers and employees of the Supreme Court of India and the High Court of Delhi.

(c) To examine, with a view to having a p oper pension structure for pensioners the existing pension structure including death-cum-retirement benefits and make recommendations relating thereto which may be desirable and feasible.

(d) To examine the work methods and work environment as also the variety of allowances and benefits in kind that are presently available to the aforementioned categories in addition to pay and to suggest rationalisation and simplification thereof with a view to promoting efficiency in administration, reducing redundant paper work and optimising the size of the Government machinery.

(e) To make recommendations on each of the foregoing having regard, among other relevant factors, to the prevailing pay structure and retirement benefits availale under the State Governments etc., economic conditions in the

country, the resources of the Central Government and the demands thereon such as those on account of economic and social development, defence and national security and requirements of sound fiscal management.

2. The Commission invites all associations, unions, institutions, other organisations and interested individuals to send memoranda containing their views on the aforesaid matters, dealing with each subject separately, numbering the paragraphs. The Commission would prefer to have this memoranda material on a computer floppy. Alternatively, seven copies of such memoranda may be sent to the Member Secretary, Fifth Central Pay Commission, Vigyan Bhavan Annexe, M.A. Road, New Delhi-110 001, so as to reach him on or before 15th July, 1994.

M.K. KAW, Member-Secretary
Fifth Central Pay Commission

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994